न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 116/2018

मनफुल राम बनाम स्टेट आफ राजस्थान

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

दिनांक : 21/2/2019

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 15 एस में मु.नं. 113 के किला नं. 16 व 25 राजस्व रिकार्ड में बरानी भूमि दर्ज है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उतर खण्ड श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 1824 के दिनांक 23.07.2018 से चक 15 एस में मु.नं. 113 के किला नं. 16 व 25 को सीसीए में शामिल कर लिया गया है। अतः अधिशाषी अभियंता के आदेश की पालना में चक 15 एस में मु.नं. 113 के किला नं. 16 व 25 को राजस्व रिकार्ड में वरानी से नहरी करने के आदेश दिये जावें।

तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 717 दिनांक 23.08.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज एवं अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 15 एस की जमाबंदी 1990 के अनुसार मु.नं. 112 के 19 बीघा 19 विस्वा एवं मु.नं. 113 के 11 बीघा रकबा जालू वल्द चौखा कौम जाट, निवासी नग्गी के नाम दर्ज है। उक्त मु.नं. 112, 113 का यह रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगानगर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1946 के तहत् आंवटन नही है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7(7)उप/2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारों से कमाण्ड हुए रकबे की अन्तर राशि जमा होने से शेष नही/ वसुल नही/ बकाया नही है। अधिशाषी अभियन्ता के आदेश क्रमांक 1824 दिनांक 23.07.2018 द्वारा चक 15 एस के मु0 नं0 113 के किला नं0 16 व 25 को सीसीए प्लॉन मे बरानी से नहरी करने के आदेश दिये गयें है।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपनी भूमि चक 15 एस के मु0 नं0 113 के किला नं0 16 व 25 को बरानी से नहरी दर्ज करवाना चाहता है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1524 दिनांक 23.07.2018 से इस रकबा को सीसीए मे शामिल किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस रकबा को बरानी से नहरी दर्ज करने पर कोई अन्तर राशि देय नही है।,

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15 एस की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 3/2 के मु0 नं0 113 के किला नं0 16 व 25 को बरानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। इस खाते के शेष अंकन एव रहन बदस्तूर रहेगें। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner